

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/एमएससी-बीएससी/जोन-बीकानेर/2023/436 दिनांक:- 8/09/2023

आदेश

कृष्णा कुमारी, नर्सिंग ऑफिसर, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सीएचसी-साहवा, चूरु को एमएससी नर्सिंग सत्र 2023 से 2025 कोर्स निजी नर्सिंग कॉलेज (टाटियां युनीवर्सिटी, श्रीगंगानगर) से करने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

शर्त:-

1. नियमानुसार स्वयं का अवकाश/अध्ययन अवकाश स्वीकृत कराना होगा।
 2. यदि कार्मिका ने पूर्व में अध्ययन अवकाश का उपभोग किया है तो इन्हें अध्ययन अवकाश देय नहीं होगा।
 3. उक्त प्रशिक्षण हेतु राज्य सरकार/विभाग द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय भार वहन नहीं किया जावेगा।
 4. कार्मिका प्रशिक्षण अवधि हेतु प्रतिनियुक्ति की मांग नहीं करेगी।
 5. प्रशिक्षण समाप्त होने पर कार्मिका तुरन्त विभाग में अपनी उपस्थिति देगी अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
 6. कार्मिका प्रशिक्षण के उपरान्त किसी भी प्रकार की पदौन्नति/वित्तीय लाभ अथवा उच्च पद वेतनमान की मांग नहीं करेगी।
 7. राजस्थान सेवा नियमों में उल्लेखित प्रावधानों की पूर्ण पालना की जावेगी।
 8. नियमानुसार बन्ध पत्र भरना होगा।
- नोट-उक्त कर्मियों में यदि कोई संविदा/समेकित वेतन पर कार्यरत है तो उनके मामले में यह आदेश लागू नहीं होगा।

(सुरेश नवल)

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/एमएससी-बीएससी/जोन-बीकानेर/2023/436 दिनांक:- 8/09/2023

प्रतिलिपी:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ जोन-बीकानेर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ चूरु।
3. सम्बन्धित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
4. प्रधानाचार्य, टाटियां युनीवर्सिटी, श्रीगंगानगर।
5. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. प्रभारी, सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि संबंधित अधिकारी को ई-मेल करें।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

Document certified by

SURESH NAWAL sadd4ng@

Digitally Signed Suresh

Kumar Na

Designation Director

Date :07-09-2023 06:55:11